संख्या: 36 /2024/ 2191/ सत्रह-म-2024-17-1002(099)/2/2023

प्रेषक,

हरीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 500.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में रु0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-585/निदेशा0/MMSY/ 2024-25 दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स / पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रु0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 500.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में रु0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स / पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए अनुदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रु0 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) महानिदेशक मत्स्य यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(5) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित वित्तीय सीमा तक ही किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च 2024 में उक्तयत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- B-1-245-X-2024-25- दिनांक: 17-12-2024 से प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Harish Kumar
(हरीश कुमार)
Date: 23-12-2024 17:36:50
अनु सचिव।

संख्या- 36 / 2024 / 2191 (1) / रावह-म-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://upgovernor.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन 3090 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय 3090 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 3090 लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasnadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।